मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.
ई-मेल:- pssocialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/एफ-03-39/2025/26-02/1166 भोपाल, दिनांक ~~24/02/2025~~ 25/02/2025

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
जिला- मध्यप्रदेश ।

विषयः- **मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के संबंध में।**

......0......

प्रदेश में निवासरत कल्याणियों (विधवा) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं जीवन की नई शुरूवात करने हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "**मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना**" वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई । शासन की यह कल्याणकारी योजना निरंतर संचालित की जाकर कल्याणियों को विवाह उपरांत राशि रूपये 2.00 लाख आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है ।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के पात्रता के मापदंड :-

1. कल्याणी व कल्याणी का पति म.प्र. के मूल निवासी हो ।
2. विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो ।
3. कल्याणी आयकरदाता न हो तथा कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो, किसी राज्य/केंद्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी न हो ।
4. कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो ।
5. कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ हो उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नि न हो ।
6. कल्याणी व कल्याणी के पति की समग्र आई.डी. में पंजीयन हो ।

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2025 को लिये गये निर्णय की कंडिका 8 अनुसार सामूहिक विवाह आयोजन के साथ-साथ कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिये माननीय मंत्री गण को अवगत कराया गया है ।

उक्त योजना का प्रदेश एवं जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है, जिससे जरूरतमंद कल्याणियों को अधिक-से-अधिक लाभ मिल सके । इसके लिये कल्याणी विवाह पोर्टल (https://vivahportal.mp.gov.in) भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद कल्याणियों की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो सके ।

अतः आपके स्तर से जिले में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन किया जाना सुनिश्चित करें ।

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-03-39/2025/26-02/167 भोपाल, दिनांक ~~24/02/2025~~ 25/02/2025

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर प्रेषित ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय की ओर प्रेषित ।
3. श्री अनिल वशिष्ठ, पीआरओ, माननीय मंत्रीजी सामाजिक न्याय विभाग।
4. माननीय मंत्री जी के निज सचिव, सामाजिक न्याय विभाग की ओर प्रेषित ।
5. समस्त संभाग आयुक्त, म प्र ।.
6. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय की ओर प्रेषित ।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।
8. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र. ।
9. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
10. समस्त मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत परिषद अधिकारी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।

उप सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग